



Neutral Citation No. - 2026:AHC:17688

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - सी - 875 वर्ष 2026

जयनाथ सिंह

...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

...प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: संजीव कुमार यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी., रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रार्थना के साथ यह याचिका प्रस्तुत की है:-

(I) अभिलेख मंगवाने और विवादित आदेश को रद्द करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी करना। कलेक्टर बलिया, जिला बलिया द्वारा दिनांक 30/12/2025 को पारित आदेश, मामला संख्या 1487/2025, कम्प्यूटरीकृत मामला संख्या D202515090001487, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(5) के तहत (जयनाथ सिंह बनाम ग्राम पंचायत) तथा सहायक कलेक्टर/तहसीलदार, तहसील- रसदा, जिला- बलिया द्वारा दिनांक 22/07/2025 को पारित आदेश, मामला संख्या 2641/2024, कम्प्यूटरीकृत मामला संख्या टी202415090402641 (गांव सभा बनाम जयनाथ सिंह), उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत। रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 1 और 2 (क्रमशः)।

2. याचिका में संक्षेप में दिए गए तथ्य इस प्रकार हैं कि राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 30.06.2024 को प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर, याचिकाकर्ता के विरुद्ध धारा 67 के तहत भूखंड संख्या 538 पर अतिक्रमण करने के लिए कार्यवाही शुरू की गई थी, जो ग्राम सभा की संपत्ति है। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



24.07.2024 को आवेदन प्रस्तुत किया और लेखपाल द्वारा 17.01.2025 को एक अन्य रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उपरोक्त रिपोर्टों पर विचार करते हुए, प्रतिवादी संख्या 3/सहायक कलेक्टर/तहसीलदार, तहसील रसदा, जिला बलिया ने दिनांक 22.07.2025 को याचिकाकर्ता को विवादित भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया। उपरोक्त आदेश से असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 2/कलेक्टर, बलिया के समक्ष अपील संख्या 1487/2025 (कम्प्यूटरीकृत केस संख्या डी202515090001487) दायर की, और उक्त अपील को भी प्रतिवादी संख्या 2/कलेक्टर, बलिया ने खारिज कर दिया।

3. अन्य अनेक तर्कों के अतिरिक्त, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उपर्युक्त आदेश ऋषिपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में पैरा-74 में निर्धारित प्रक्रिया का पूर्णतः उल्लंघन करते हुए पारित किए गए हैं, जो **2023 (1) ए.डी.जे. 154** में प्रकाशित हुआ है, अतः इन्हें रद्द किया जाना चाहिए।

4. प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है।

5. उपरोक्त के मद्देनजर, चूंकि प्रतिवादी संख्या 2/कलेक्टर बलिया, जिला- बलिया द्वारा दिनांक 30/12/2025 को पारित आदेश, मामला संख्या 1487/2025, कम्प्यूटरीकृत मामला संख्या डी202515090001487, धारा 67(5) के तहत, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (जयनाथ सिंह बनाम ग्राम पंचायत) और प्रतिवादी संख्या 3/सहायक कलेक्टर/तहसीलदार, तहसील- रसदा, जिला- बलिया द्वारा दिनांक 22/07/2025 को पारित आदेश, मामला संख्या 2641/2024, कम्प्यूटरीकृत मामला संख्या टी202415090402641 (गांव सभा बनाम जयनाथ सिंह), धारा 67 के तहत। 2006 में पारित आदेश, ऋषीपाल मामले (उपरोक्त) में निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण उल्लंघन करते हुए पारित किए गए थे, उन्हें रद्द किया जाता है। रिट याचिका स्वीकार की जाती है और मामले को प्रतिवादी संख्या 3/सहायक कलेक्टर/तहसीलदार, तहसील- रसदा, जिला- बलिया के समक्ष वापस भेजा जाता है ताकि वे शीघ्र ही नया आदेश पारित करें।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

16 जनवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"